कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- सिवनी (म.प्र.)

--आदेश--

क्रमांक 2087 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 18 मार्च, 2020

जैसा कि विदित है कि देश में COVID-19 (नोवल कोरोना वायरस) का प्रकोप फैला हुआ है। कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार, इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम अति आवश्यक है। अत: सिवनी जिले में भी निम्न बिन्दुओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

सिवनी जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत् पूर्व में इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 2024/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी दिनांक 16 मार्च, 2020 के बिन्दुओं के साथ-साथ जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसरण निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

1. जिला सिवनी की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के इंडोर/आउटडोर, सामूहिक आयोजन, जुलूस, गैर सम्मेलन, सामूहिक भोज आदि जिनमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित होते है, ऐसे सभी आयोजन प्रतिबंधित किए जाते है।
2. सिवनी जिले में बिना अनुमति समस्त सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली को प्रतिबंधित किया जाता है तथा आगामी त्यौहारों के अवसर पर जुलूस/चल समारोह जिनमें अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होते है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी आयोजन प्रतिबंधित रहेगें। विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक कार्यक्रम या अधिक भीड वाले सार्वजनिक स्थलों पर निजी कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेगें। जारी की गई समस्त अनुमतियां (रैली, जुलूस, सभा, गैर, मिलन समारोह, प्रदर्शन आदि) लोक स्वास्थ्य एवं आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2020/सत्रह/गडि-2 भोपाल, दिनांक 07/03/2020 की अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71 (2) के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को नोवल कोरोना वायरस COVID-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मजिस्ट्रियल अधिकार सौंपें गये है।
3. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 36/प्र.स./स्वा/सत्रह/मेडि-तीन भोपाल, दिनांक 15/03/2020 के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल्स, आंगनवाडियॉ बंद रहेंगे एवं कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किए जाने तथा 20 या 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिये कानूनी उपाय करने के निर्देश दिए गए है।
4. विशेष परिस्थिति में 20 या 20 से अधिक लोगों की सभाओं/आयोजन की अनुमति हेतु उप खण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा के आधार पर अनुमति देने हेतु अधिकृत रहेंगे। अनुमति में कोरोना वायरस से बचाव हेतु मॉस्क, हाथ धुलाया जाना सेनिटाईजर का उपयोग करने की शर्त लगाया जाना अनिवार्य होगा।
5. भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बंध में जारी एडवायजरी के अनुसरण में भारत से बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आईसोलेशन सेन्टर में जॉच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदाय की जावेगी। साथ ही समस्त होटल/लॉज संचालक ऐसे आने वाले नागरिकों की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को e_mail : cmhoseo@nic.in, Phone No. 07692-220323, 227423 पर भेजते हुए एक प्रति कलेक्ट्रेट कार्यालय को भेजेगें।
6. सिवनी जिले में स्थित समस्त शासकीय/निजी/क्लीनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करेंगे तथा पृथक से ओ.पी.डी. कक्ष बनायेंगे एवं कोरोन वायरस को लेकर जारी प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

7. कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना देने वाले, कोरोना वायरस से पीडित होने वाले व्यक्ति की सूचना नहीं देना या उसको छुपाना, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के बचाव एवं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फेस मॉस्क एवं हैंड सेनिटाईजर्स को अत्यावश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। उक्त सामग्री को अनाधिकृत मात्रा में संग्रहण और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कीमतों में विक्रय किया जाना अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।
9. यह आदेश जन सामान्य से सम्बंधित है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि सम्बंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस सम्बंध में सूचना दी जाकर सूचित किया जा सके।

अत: यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है।

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं सम्बंधितों को व्यक्तिश: कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/सम्बंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। सम्बंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं सम्बंधितों को अवगत करावें।

यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आज दिनांक 18-03-2020 से दिनांक 31-03-2020 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 18-03-2020 को जारी किया गया।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

पृ.क्रमांक/2087/ए/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 18 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. पुलिस अधीक्षक, सिवनी उक्तानुसार आदेश का अक्षरश: पालन करावें तथा अधिनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी
4. सर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... जिला सिवनी
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
6. सर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार .... जिला सिवनी
7. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी .... जिला सिवनी
8. सहायक संचालक, जनसंपर्क सिवनी
9. सर्व थाना प्रभारी, थाना - .... जिला सिवनी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

Scanned with CamScanner